समक्ष श्रीमान राजस्व मंड़ल ग्वालियर म0प्र0

रा0पु0प्र0क्र0:–..............................बी / 121 वर्ष 2016–17 संस्थित दि0–..............................

निग. 3727- I 16

शैलेन्द्र सोनी आत्मज गोविंद सोनी
पूर्व संचालक, लोक सेवा केन्द्र खुरई
निवासी कबीर वार्ड़ खुरई
तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0

..............................पुनरीक्षण आवेदक

/ / विरूद्ध / /

म0प्र0 शासन द्वारा
तहसीलदार खुरई
वसूलकर्ता अधिकारी
तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0

..............................पुनरीक्षण अनावेदक

राजस्व पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959

पुनरीक्षण आवेदक शैलेन्द्र सोनी आत्मज गोविंद सोनी पूर्व संचालक, लोक सेवा केन्द्र खुरई निवासी कबीर वार्ड़ खुरई तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 (जिसे आगे केवल आवेदक कहा जावेगा), अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई तह0 खुरई जिला सागर म0प्र0 (जिन्हें आगे केवल अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा), के न्यायालय में पंजीकृत राजस्व वसूली प्रकरण क्र0 01अ/76 वर्ष 2015–16 (जिसे आगे केवल मूल प्रकरण कहा जावेगा), में पारित अंतरिम आदेश दिनाक 06/10/2016 (जिसे आगे केवल विवादित आदेश कहा जावेगा), से पीडित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया यह विवादित आदेश विधि एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतो से विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
2. यह कि, विवादित आदेश एक अधिकारिता विहीन, अधिकारी द्वारा अनुचित (Improper), अवैध (Illegal), निरंकुश / स्वेच्छाचारी (Arbitrary), अनियमित, अशुद्ध एवं दुर्भावना से प्रेरित होकर पारित किया गया आदेश है। अतः प्रारंभ से ही शून्यवत् (Void Ab initio) है। अतः विवादित आदेश पुनरीक्षण में सुनवाई कर निरस्तनीय है।
3. यह कि, यह आवेदन पत्र पुनरीक्षण हेतु नियत विहित समयावधी के अंदर ही प्रस्तुत किया जा रहा है अतः सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने योग्य है।
4. यह कि, आवेदक विवादित अंतरिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है। जो **अनुलग्न** 01 के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

पुनरीक्षण के आधार

5. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मूल प्रकरण का अभिलेख आहूत कर अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रकरण, " भू–राजस्व की वसूली" अथवा " भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली " के दो विकल्पों में से किस मद में (शीर्ष) में दर्ज किया जाना है, यह आदेशित ही नहीं किया है। ऐसे किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में दर्ज यह प्रकरण प्रारंभ से ही शून्य करणीय (Void Ab initio) है, अतः निरस्तनीय है।
6. यह कि, उपरोक्तानुसार ही मूल अभिलेख में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अनावेदक की सुनवाई किये ही उसकी लोक सेवा प्रबंधन के जिला कार्यालय में सुरक्षा पूंजी कोषालय में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3727-एक/2016 जिला-सागर शेलेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. प्रकरण में दिनांक 04-10-2018 को आवेदक शेलेन्द्र कुमार सोनी की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित हुये थे । उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP No. 7469/2017 में पारित आदेश दिनांक 05-09-2018 की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में सुनवाई का अनुरोध किया गया एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के अंतर्गत आवेदन देकर तहसीलदार खुरई के द्वारा दिनांक 07-09-2018 को जारी खाते के विक्रय की उद्घोषणा के आधार पर दिनांक 08-10-2018 को की जाने वाली नीलामी पर रोक हेतु अनुरोध किया गया । 3. आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-09-2018 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 02-05-2016 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आदेश दिया है । "In totality, the impugned order cannot sustain judicial scrutiny for the reasons stated above. Accordingly, the order dated 27-12-2016 is set aside. The matter is remitted back before the Board of Revenue to decide the matter afresh in accordance with law by taking into account the findings given hereinabove." 4. मेरे द्वारा कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक 107/बी-121/2015-16 मौजा खुरई तहसील खुरई जिला सागर में पारित	

आदेश दिनांक 11-03-2016 एवं तहसीलदार खुरई की आदेश पंजिका दिनांक 06-10-2016 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार की आदेश पंजिका दिनांक 06-10-2016 निम्नानुसार है ।

"प्रकरण पेश ।

अनावेदक उपस्थित । अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक राशि जमा कर चालान पेश नहीं ।

अचल संपत्ति कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही की जाना है।

कुर्की आदेश जारी हो ।"

5. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक जे.एस. घोसी एवं अन्य द्वारा लोक सेवा केन्द्र के संचालक श्री शेलेन्द्र सोनी के विरूद्ध अभद्र व्यवहार, शासकीय नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त फीस लेने के संबंध में शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर के द्वारा तहसीलदार खुरई, अनुविभागीय अधिकारी खुरई व अन्य अधिकारियों से विस्तृत जांच कराने के उपरांत अपना आदेश दिनांक 11-03-2016 पारित किया गया, जिसका Operating Para निम्नानुसार है ।

" अत: अनावेदक के विरूद्ध बगैर न्यायालयीन शुल्क चस्पा किये नकलें जारी कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाये जाने का आरोप प्रमाणित होता है। चूंकि न्यायालयीन अभिलेख पर मात्र 31 नकले अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई है अत: यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि कुल कितने राजस्व का अपवचन अनावेदक द्वारा किया गया है । इसलिए वर्तमान परिस्थिति में राजस्व वसूली की गणना किया जाना संभव नहीं है । इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई को निर्देशित कियाजाता है कि वह वसूली की गणना हेतु एक समिति गठित करें जो आलोच्य अवधि में जारी सभी नकलों का परीक्षण कर अनावेदक से की जाने वाली वसूली निर्धारित करें एवं तदानुसार वसूली की जाकर शासकीय कोष में जमा कराये ।

चूंकि अनावेदक पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है एवं यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा नियमों का ज्ञान होते हुए भी शासन को राजस्व क्षति पहुंचाई गई है एवं लोक सेवा प्रबंधन

विभाग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है । अत: शासन एवं लोकहित में अनावेदक का लोक सेवा केन्द्र खुरई के संचालक के रूप में कार्य किया जाना वांछनीय नहीं है । इसलिए अनावेदक को लोक सेवा केन्द्र खुरई के संचालन से तत्काल प्रभाव से प्रथक किया जाता है एवं लोक सेवा प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि लोक सेवाकेन्द्र खुरई का प्रभार जिले के अन्य उपयुक्त एवं कार्यरत लोक सेवा केन्द्र को तत्काल दिया जाये । आदेश की प्रति संबंधितो को भेजी जावे ।

6. कलेक्टर का उक्त आदेश एक प्रशासकीय आदेश है जो म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है । आवेदक के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है, इसीलिये यह आदेश आज भी अस्तित्व में है जिसके फलस्वरूप समिति के द्वारा वित्तीय अनियमितता की गणना कर वसूली की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जावेगी ।

7. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 05-09-2016 में प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि माननीय न्यायालय के Observation के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता जे.एस. घोसी को सुनने के उपरांत ही नियमों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर के आदेश पर निर्णय लिया जाये ।

8. तहसीलदार की आदेश पंजिका 06-10-2016 में जो राशि जमा न करने एवं अचल संपत्ति कुर्क करने से संबंधित कार्यवाही हेतु टीप अंकित है, वह कलेक्टर के मूल आदेश दिनांक 11-03-2016 के अनुक्रम में है । कलेक्टर का मूल आदेश दिनांक 11-03-2016 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत पारित न होकर एक प्रशासनिक आदेश है, जो आवदेक (शैलेन्द्र सोनी) के द्वारा लोक सेवा केन्द्र खुरई में की गयी वित्तीय अनियमितताओं पर आधारित है । कलेक्टर का मूल आदेश दिनांक 11-03-2016 प्रशासनिक होने के कारण उसे म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत केवल राजस्व

अधिकारी के द्वारा संहिता या उसके अधीन बने अन्य कानूनों के अंतर्गत पारित आदेशों के विरूद्ध ही निगरानी (Revision) सुनी जाने का प्रावधान है । कलेक्टर का दिनांक 11-03-2016 का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है, अत: उसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है ।

9. चूंकि म.प्र. भू-राजस्व संहिता अथवा उसके अंतर्गत बने किसी नियमों के अंतर्गत कलेक्टर के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये कलेक्टर के उक्त प्रशासकीय आदेश के विरूद्ध निर्णय देना राजस्व मंडल के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अग्राह्य किया जाता है ।

16.X.18

(आर.के. जैन)
सदस्य